भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 202
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया जाना है)

विनियामक सुधार

202. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का वित्तीय क्षेत्र वित्तीय समावेशन, बाजार स्थिरता और दीर्घकालिक निवेश प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए, आर्थिक विकास को गति देने, प्रति व्यक्ति आय और व्यय में वृद्धि करने, शेयर बाजार के प्रदर्शन और जनता की समृद्धि को बढ़ाने के लिए विनियामक सुधारों, नवीन वित्तीय उत्पादों और टिकाऊ वित्त पहलों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकता है; और
(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी, हां । वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण चालकों में से एक है। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने नवाचार, प्रतिस्पर्धा, स्थिरता और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल विनियामक वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

विनियामकों द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

i. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के तुलन-पत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, अन्य मुद्दों के साथ-साथ, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा शामिल है जो एक सिद्धांत-आधारित संरचना है और इसमें समयबद्ध तरीके से बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में चूक की शीघ्र पहचान और उसका समाधान करने का प्रावधान है। इसने डिजिटल भुगतान के लिए कवरेज बढ़ाने और भुगतान की दक्षता में सुधार के लिए एक डिजिटल भुगतान अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित किया है।

ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वर्ष 2023 में टी+2 से टी+1 तक भारत में प्रतिभूति बाज़ार में निपटान चक्रों को कम करना, व्यापार निपटान के समय को कम करने, तरलता बढ़ाने और प्रतिपक्ष निपटान जोखिम को कम करने में सहायक रहा है।

iii. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के लिए पंजीकरण आवश्यकताओं और विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। एक व्यापक विनियामक समीक्षा की गई है, जिसमें नियम-आधारित दृष्टिकोण से सिद्धांत-आधारित संरचना की ओर अभिमुखीकरण किया गया है, जबकि एक सुदृढ़ और मजबूत जोखिम प्रबंधन अवसंरचना भी स्थापित की गई है।

iv. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने संवर्धित प्रकटीकरण लाकर विनियामक अनुपालन अपेक्षाओं को युक्तिसंगत बनाया है और अभिदाताओं को प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए हैं जिससे मध्यस्थतों का शासन सुदृढ़ हुआ है।

v. एकीकृत विनियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण नियामक संरचना, प्रतिस्पर्धी कर संरचना और व्यापार करने में सुगमता के साथ वित्तीय सेवाओं के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए जीआईएफटी-आईएफएससी में एक सक्षम अवसंरचना की स्थापना की।

vi. सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों ने फिनटेक को अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए एक नियंत्रित वातावरण में नवीन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए अपने नियामक सैंडबॉक्स स्थापित किए हैं।

****